न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 235/2016 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 27.05.2016

1. श्री गोपाल पिता डालूजी जाति भील आयु वयस्क निवासी डिंगेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थी

बनाम

1. हजारी पिता डालूजी जाति भील आयु वयस्क
2. कशनी पत्नी डालूजी जाति भील आयु वयस्क
3. वगता पिता दोलाजी जाति भील आयु वयस्क
4. दामा पिता दोलाजी जाति भील आयु वयस्क
5. परताप पिता दोलाजी जाति भील आयु वयस्क
6. भूरा पिता दोलाजी जाति भील आयु वयस्क
7. जमनी बेवा दोलाजी जाति भील आयु वयस्क
8. मांगीलाल पिता हरिराम जी जाति भील आयु वयस्क
9. डूंगा पिता हरिराम जी जाति भील आयु वयस्क
10. रंगलाल पिता हरिराम जी जाति भील आयु वयस्क
11. रोडकी पत्नी हरिराम जी जाति भील आयु वयस्क
12. गोरधन पिता चंदनाजी जाति भील आयु वयस्क
13. जयराम पिता चंदनाजी जाति भील आयु वयस्क
14. दायली पत्नी चंदनाजी जाति भील आयु वयस्क
15. दोला पिता नाथूजी जाति भील आयु वयस्क
16. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।
17. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हिस्साधारी रहन से हजारी पिता डालूजी।
18. उप पंजीयक महोदय नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2

सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री दीपक सनाढ्य, अधिवक्ता प्रार्थी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :– 14.05.2019

प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परिशिष्ठ अ मे राजस्व ग्राम डिगेंला तहसील नाथद्वारा की खाता सं. 132 मे कुल किता 9 कुल रकबा 08–05 बीघा एवं परिशिष्ठ ब मे खाता सं. 130 मे कुल किता 1 कुल रकबा 1–00 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो मे प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 एवं 17 का 1/6 हिस्सा अंकित है। यह भूमिया मौरूसी होकर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 एवं 17 के नाम पर विरासत से अंकन हुई थी। वादी के पिता विपक्षी संत्र 1 के पिता डालूजी व विपक्षी सं. 2 के पति डालूजी के स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि भूमिया विरासत से दर्ज हुई। परिशिष्ठ ब मे वर्णित कृषि भूमि भी प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे विरासत से दर्ज हुई है। जिसमे प्रार्थी का भी तीसरा हिस्सा है। उक्त कृषि भूमिया परिशिष्ठ अ एवं परिशिष्ठ ब मे अंकित है संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है तथा अभी तक विधिवत रूप से उक्त कृषि भूमियो का विभाजन नही हुआ है। अतः प्रार्थी अपना परिशिष्ठ अ मे से 1/18 हिस्सा व परिशिष्ठ ब मे से तीसरा हिस्सा उक्त कृषि भूमियो से विभाजन करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमिया संयुक्त रूप से दर्ज होने से प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य आये दिन लडाई झगडे होते रहते है इसलिये प्रार्थी अपना हिस्सा विभाजन करवाकर स्वतंत्र आधिपत्य स्थापित करवाने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 29.04.16 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 से 15 तक से विभाजन कराने को कहां परन्तु विपक्षीगण उसके लिये तैयार नही हुये।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि ताफैसला मूल वाद इस विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की पैरा सं. 2 मे वर्णित परिशिष्ठ अ एवं ब की कृषि भूमियो का प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य विभाजन होकर कृषि भूमिया पृथक पृथक खाते मे अंकित नही जावे तब तक उक्त कृषि भूमियो को किसी अन्य व्यक्ति संस्था निकाय को विक्रय दान बक्शीश अन्तरण आदी नही करे न करावे व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 से 15 एवं 17 बावजूद तामील उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी सं. 1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध भी कार्यवाही एकतरफा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता पक्षकारन की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071–74 राजस्व ग्राम डिगेंला तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 132 मे कुल आराजी किता 09 कुल रकबा 08–05 बीघा एवं खाता सं. 130 मे कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 01–00 बीघा मे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

से खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष मे किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खाते की भूमि होने से प्रत्येक खातेदार का समान हक अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात मे संयुक्त खातेदार है अतः यदि प्रार्थी के पक्ष मे विक्रय हस्तान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्षकार को होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **14.05.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द